

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवार्ये, राजस्थान, जयपुर।

कमांक : ई/चिअ/राजपत्रित/पीजी-2023/2024/25

दिनांक : 24/01/2024

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर/
राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा/
एसएन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर/
एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर/
आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर/
आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर/
राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर/
राजकीय मेडिकल कॉलेज, चुरू।

एवं

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
सआदत चिकित्सालय, टोंक/
सामान्य चिकित्सालय, करौली/
जिला चिकित्सालय, धौलपुर।

विषय:- सेवारत कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन पत्रों में आक्षेपों की पूर्ति करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सेवारत कोटे से पीजी/डीएनबी करने वाले चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में निम्न कमियाँ रही है जो इस प्रकार है :-

क्र सं	नाम चिकित्सक	मेडिकल कॉलेज का नाम	विभाग का नाम	पाई गई कमियाँ।
1	डॉ० सुशील कुमार शर्मा	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	रेडियोथेरेपी	प्राप्त बॉण्ड नोटेरी द्वारा प्रमाणित नहीं है।
2	डॉ० मनोज कुमार मीना	मेडिकल कॉलेज, कोटा	शिशु रोग	नवीन निर्धारित चैकलिस्ट संलग्न नहीं है।
3	डॉ० हुकुम सिंह गुर्जर	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	शिशु रोग	असाधारण अवकाश के स्थान पर अध्ययन अवकाश का बन्ध पत्र संलग्न किया है जो कि अमान्य है। असाधारण अवकाश हेतु 80 लाख व पीजी के बाद 5 वर्ष की राजकीय सेवा का बॉण्ड प्रस्तुत करावे।
4	डॉ० हीरा लाल यादव	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	मेडिसिन	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम एवं पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
5	डॉ० मुकेश कुमार कुमावत	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	टीबी एण्ड चैस्ट	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम अंकित नहीं है।
6	डॉ० हेमन्त कुमार छन्नानी	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	सर्जरी	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम एवं पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
7	डॉ० पायल देवासी	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	असाधारण अवकाश के स्थान पर अध्ययन अवकाश का बन्ध पत्र संलग्न किया है जो कि अमान्य है। असाधारण अवकाश हेतु 80 लाख व पीजी के बाद 5 वर्ष की राजकीय सेवा का बॉण्ड प्रस्तुत करावे।

RajKaj Ref
5376127

8	डॉ० टीना रतनू	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	असाधारण अवकाश के स्थान पर अध्ययन अवकाश का बन्ध पत्र संलग्न किया है जो कि अमान्य है। असाधारण अवकाश हेतु 50 लाख व पीजी के बाद 5 वर्ष की सज़कीय सेवा का बॉण्ड प्रस्तुत कराये।
9	डॉ० हिमान्शु ज्याणी	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	ईएनटी	नवीन निर्धारित चैकलिस्ट संलग्न नहीं है।
10	डॉ० मोनिका कुमारी	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	नवीन चैकलिस्ट संलग्न नहीं है।
11	डॉ० दिग्विजय सिंह राव	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	माईकोबायोलोजी	नवीन चैकलिस्ट संलग्न नहीं है।
12	डॉ० यतीष चन्द्र उपाध्याय	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	एनाटोमी	नवीन चैकलिस्ट संलग्न नहीं है।
13	डॉ० होजेफा वैयकार्या	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	शिशु रोग	नवीन चैकलिस्ट संलग्न नहीं है।
14	डॉ० सोनू कुमार	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	नवीन चैकलिस्ट संलग्न नहीं है।
15	डॉ० प्रियंका महला	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	नवीन चैकलिस्ट संलग्न नहीं है।
16	डॉ० राजेश कुमार	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	मनोरोग	नवीन चैकलिस्ट संलग्न नहीं है।
17	डॉ० प्रतिभा शर्मा	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	नेत्र रोग	नवीन चैकलिस्ट संलग्न नहीं है।
18	डॉ० रामभजन मीना	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	टीबी एण्ड चैस्ट	नवीन चैकलिस्ट संलग्न नहीं है। प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
19	डॉ० नरपत राम	राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर	फिजियोलोजी	प्राप्त बॉण्ड अपूर्ण। प्राप्त पीएल फॉर्म एवं नवीन निर्धारित चैकलिस्ट नियंत्रण अधिकारी के द्वारा अग्रेषित नहीं है।
20	डॉ० भानु प्रताप सिंह	मेडिकल कॉलेज, भरतपुर	माईकोबायोलोजी	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम एवं पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
21	डॉ० कपिल देव शर्मा	मेडिकल कॉलेज, भरतपुर	पीएसएम	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
22	डॉ० अभिलाषा	मेडिकल कॉलेज, भरतपुर	पीएसएम	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
23	डॉ० जितेन्द्र विश्‍नोई	मेडिकल कॉलेज, भरतपुर	पीएसएम	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्राप्त बॉण्ड में एक गवाह का पता अंकित नहीं है।
24	डॉ० सौरभ तिवारी	मेडिकल कॉलेज, चुरू	पैथोलोजी	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
25	डॉ० अब्दुल आजाद	सआदत चिकित्सालय, टोंक	Rडीएनबी (शिशु रोग) 5376127	नवीन निर्धारित चैकलिस्ट संलग्न नहीं है।

26	डॉ० राजीव कुमार गोयल	सामान्य चिकित्सालय, करौली	डीएनबी (फैमिली मेडिसिन)	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम अंकित नहीं है।
27	डॉ० अनिल कुमार	सामान्य चिकित्सालय, करौली	डीएनबी (फैमिली मेडिसिन)	प्राप्त बॉण्ड अपूर्ण एवं गवाहों का नाम अंकित नहीं है।
28	डॉ० मुकेश शर्मा	सामान्य चिकित्सालय, करौली	डीएनबी (शिशु रोग)	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम एवं पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
29	डॉ० गरिमा सिंह राव	सामान्य चिकित्सालय, करौली	डीएनबी (शिशु रोग)	प्राप्त बॉण्ड अपूर्ण।
30	डॉ० पवन कुमार	जिला चिकित्सालय, धौलपुर	डीएनबी (फैमिली मेडिसिन)	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

अतः उक्त चिकित्सकों से आक्षेपों की पूर्ति करवाई जाकर मूल ही निदेशालय को भिजवाने का कष्ट करें जिससे नियमानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई/चिअ/राजपत्रित/पीजी-2023/2024/25
प्रतिलिपि :- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाते हुए सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज की आईडी पर अपलोड करावें।

दिनांक : 24/01/2024

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKai Ref
5376127

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <directorph-r@nic.in>

Digitally Signed by RAVI
PRAKASH MATHUR
Designation: Director
Date : 24-01-2024 12:04:58